भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2412

(जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर दरों में कमी

2412. **श्री दुष्यंत सिंहः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर दरों में कमी और मानक कटौती से मध्यम वर्ग को समग्र वित्तीय राहत के रूप में किस प्रकार लाभ होने की संभावना है; और

(ख) सरकार द्वारा घरेलू उपभोग और आर्थिक विकास पर उक्त कर परिवर्तनों के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तरः

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) वित्त अधिनियम, 2025 ने नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों के साथ पर्याप्त राहत प्रदान की है जो निम्नानुसार हैः-

कुल आय	कर की दर
4,00,000 रुपये तक	शून्य
4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये तक	5 प्रतिशत
8,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक	10 प्रतिशत
12,00,001 रुपये से 16,00,000 रुपये तक	15 प्रतिशत
16,00,001 रुपये से 20,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
20,00,001 रुपये से 24,00,000 रुपये तक	25 प्रतिशत
24,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

सभी करदाताओं को लाभ पहुँचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में भारी कमी आएगी और उनके हाथों में ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त अधिनियम, 2025 ने इस अधिनियम की धारा 115बीएसी के अंतर्गत नई कर व्यवस्था के तहत कर योग्य निवासी व्यक्तियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 87ए के अंतर्गत कर छूट का दावा करने हेतु आय सीमा को,7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है, और अधिकतम छूट राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत पूर्व में दी गई सीमांत (मार्जिनल) राहत 12,00,000 रुपये से थोड़ी-सी अधिक आय पर भी लागू है।

ये उपाय प्रत्यक्ष कराधान की एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे देश की कामकाजी और मध्यम वर्ग की आबादी पर प्रत्यक्ष करों का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

(ख) घरेलू उपभोग और आर्थिक विकास पर कराधान में इन सुधारों के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट या अलग उपाय नहीं किए गए हैं।

****